निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 74 वर्ष 2016

यह निरीक्षण प्रतिवेदन वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून के माह अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ जोगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2016 से 02.09.2016 तक श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्रीमती हिना सलीम, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 19.08.2014 से 29.08.2014 तक श्री डी॰ एन॰ मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढ़वाल
   (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` yk[k में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	1300.00	773.20	-	661.01	1189.77	904.90		1697.05
2015-16	638.98	1058.87	-	-	1520.61	1287.14		1291.54

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ` में	प्राप्त `	व्यय ` में	बचत (-) ` में
2014-15		88154120	23180402	16029596	95304925
2015-16		95304925	46026254	47620819	93710360

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार व केंद्र सरकार (यूजीसी ग्रांट) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(a) सचिव,

(b) foŸk fu;a=d

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में दून विश्वविद्यालय, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन दून विश्वविद्यालय, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015 व मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान, राज्य योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1: उपलब्ध धनराशि ` 6.00 करोड़ के अवमुक्त न किए जाने के कारण इस धनराशि का दो वर्ष तक अवरोधन।

उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में दून विश्वविद्यालय के फेज-2 के निर्माण कार्यों के अंतर्गत ` 1074.47 लाख के महिला छात्रावास के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 152/XXIV (6)/2014/26 (4)12 दिनांक 29 मार्च, 2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। यह महिला छात्रावास चार मंजिल का बनाया जाना था एवं प्रत्येक मंजिल मे 22 कमरे (प्रत्येक कमरे में 3 बेड) बनाए जाने थे । छात्रावास की स्वीकृति के साथ ही विश्वविद्यालय को ` 10.00 करोड़ की धनराशि PLA में रखे जाने की स्वीकृति दी गई थी तथा PLA से धनराशि का आहरण इस शर्त पर किया जाना था कि "*स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए शाशन स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी*"।

अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विश्वविध्यालय प्रशासन द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना ही ` 4.00 करोड़ की धनराशि को PLA से आहरित कर कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को छात्रावास के निर्माण हेतु अवमुक्त की गई थी (अप्रैल 2014)। कार्यदायी संस्था से सम्झौता ज्ञापन (MOU) किया गया था (मई 2014)। जिसके अनुसार निर्माण कार्य के प्रारम्भ किए जाने की तिथि 20/5/2014 थी तथा निर्माण कार्य के पूर्ण किए जाने की तिथि 20/5/2016 थी। कार्यदायी संस्था द्वारा ` 4.00 करोड़ व्यय करके केवल प्लिंथ लेवल के कार्य कराये गए थे कार्य की Overall भौतिक प्रगति 19% थी (Qjojh 2016)।

आगे पाया गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के ही धनराशि के पीएलए से आहरित किए जाने पर शासन द्वारा आपत्ति की गई थी एवं संबन्धित पर उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन से आख्या मांगी गयी थी। और इस प्रकार vxLr 2016 तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शेष धनराशि के आहरित किए जाने की शासन से स्वीकृति की मांग की जाती रही परंतु शासन द्वारा संबन्धित अधिकारी पर बिना अनुमति से पीएलए से धनराशि आहरित किए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण की बात कही जाती रही। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संबन्धित अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन को आख्या भेजी गयी थी (नवम्बर 2015)। परंतु लेखा परीक्षा तिथि (vxLr 2016) तक न तो शासन द्वारा धनराशि आहरण की अनुमति दी गई थी और न ही शेष धनराशि ` 6.00 करोड़ कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा सकी थी। इसी दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन ` 1754.39 लाख का विश्वविद्यालय को भेजा गया था (फरवरी 2016) जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शासन को भेजा गया था (फरवरी 2016) अभी पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति अपेक्षित है। कार्यदायी संस्था द्वारा शासन को भेजे गए उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार उसको उपलब्ध कराई गई धनराशि छात्रावास के निर्माण में उपभोग कर ली गई थी तथा कार्य अधूरा बंद पड़ा हुआ था। जिसको निम्न Photographs से देखा जा सकता है:

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर उत्तर मे बताया गया कि उपलब्ध शेष धनराशि को आहरित किए जाने की अनुमति शासन से न मिलने के कारण धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं की जा सकी थी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्य हित मे, धनराशि को अवरोधन से बचाने, कार्य की लागत मे o``f) की संभावना से बचने आदि को मद्देनजर रखते हुए शेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्य हित में सही निर्णय न लिये जा पाने के कारण न केवल ` 6.00 करोड़ की धनराशि विगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी रही बल्कि लाभान्वित होने वाली छात्राएं भी छात्रावास के लाभ से बंचित रहीं।

अतः प्रकरण mPpkf/kdkfj;ksa के laKku मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-2: स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर भर्ती करने के कारण ` 28.26 yk[k dk अनियमित व्यय।

विश्वविद्यालय के अभिलेखो की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि School of Language में निम्न तालिका के अनुसार स्वीकृत पद से अधिक पर भर्ती की गई है।

क्र॰सं॰	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (स्थायी)	कार्यरत पद (on contract)	कुल कार्यरत पद
1	Professor	2	Nil	Nil	Nil
2	Associate Professor	6	Nil	1	1
3	Assistant Professor	7	8	12	20
योग		15	8	13	21

उक्त तालिका से स्पष्ट है School of Language में सहायक प्रोफेसरों के पद पर 7 के सापेक्ष 20 नियुक्तियाँ की गयी है व कुल 15 पदो के सापेक्ष 21 नियुक्तियाँ की गयी है। इस प्रकार कुल 7 नियुक्तियाँ स्वीकृत पदों से अधिक है जिनको लगभग कुल ` 28.26/- लाख (निम्न तालिका के अनुसार) का भुगतान वेतन के रूप में किया जा चुका है।

S.N.	Name	2014-15	2015-16	Salary	Total	total

		From	To	From	To	Per Month	month	paid
1	Mr. Varun Dev Sharma	27.10.14	30.06.15	3-08-15	31.03.16	25000	16	400000
2	Ms. Arundhati Bhattacharya	5-11-14	30.06.15	1-08-15	31.03.16	24500	16	392000
3	Mr. Vishwas Kumar			25-08-15	31.03.16	25000	8	200000
4	Ms. Sutanuka Preetam			13-08-15	31.03.16	24500	7	171500
5	Ms. Shomia Biswas			4-08-15	31.03.16	24500	7	171500
6	Mr. Shekhar Maithani			11-08-15	31.03.16	24500	8	196000
7	Ms. Yogita Arya	21.07.14	30.06.15	31-08-15	31.03.16	20000	19	380000
8	Ms. Mary Shah	5-02-15	30.06.15			25000	6	150000
9	Mr. Alok prasad Naithani	23.08.14	30.06.15			24000	10	240000
10	Ms Prachi Agrawal	19.08.14	30.06.15			25000	10	250000
11	Mr. Udai Singh Kunwar	22.08.14	30.06.15			25000	11	275000
योग								**2826000**

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त तथ्य इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि दून विश्वविद्यालय कि प्रथम परिनियमावली 2009 की धारा 23(अ) के अंतर्गत उक्त कार्यपरिषद को सूचित कराते हुए नियुक्ति की गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नियम के अनुसार केवल विशिष्ट परिस्थितियों में संविदा पर व्यक्ति रखे जा सकते है। उक्त नियम में स्वीकृत पदों से अधिक पद पर नियुक्ति के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं हैं। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर व्यक्ति रखे जाने के समय कोई भी विशिष्ट परिस्थितियों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार दून विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर नियुक्ति कर ` 28.26 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

अतः उक्त प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-3 : ` 3.50 लाख के अग्रिम का समायोजन न किया जाना।

विश्वविद्यालय के अभिलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम प्रदान किए जा रहे है व उनके समायोजन में देरी की जा रही हैं। निम्न तालिका के अनुसार vfxze दिये जाने के एक से तीन वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत भी ` **350000/-** के vfxze का समायोजन शेष है।

क्रम सं॰	**नाम**	**उद्देश्य**	**दिनांक**	**राशि (` में)**
1	Ms. Soni Tamta	Project exp.	20.07.2013	10000
2	Ms. Mala Sikha	Project exp.	11.11.2013	20000
3	Dr R S Toila	Conference in Mussoorie	16.01.2014	100000
4	-do-	-do-	17.01.2014	155000
5	-do-	-do-	01.02.2014	30000
6	Dr. Gajendra Singh	Project exp.	10.03.2014	15000
7	-do-	Farewell party	16.09.2013	5000
8	Ms. Tanvi negi	Culture programme	22.03.2016	15000
योग				**350000**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय ने बताया कि अग्रिम के समायोजन की कार्यवाही की जा रही हैं।

अतः उक्त प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

44/ 2009-10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3,4,5,6,7,8
81/ 2014-15		1,2,3,4,5,6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नही की गई।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या
2. **सतत् अनियमितताएः**
   ---------- शून्य----------
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डॉ॰ बी॰ एम॰ हरबोला,	रजिस्ट्रार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक) को प्रेषित कर दी जांय।

Okfj'B ys[kkijh{kk vf/kdkjh
lkekftd {ks=